

आईआईटी की जमीन से अंतिम बाधा दूर

इंदौर। आईआईटी को सिमरोल में आवंटित जमीन से अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। राज्य शासन ने वनभूमि के हर्जाने के रूप में 10.70 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। वन विभाग को यह राशि मिल



■ सरकार ने दिया
10.70 करोड़ हर्जाना

चुकी है। विभाग द्वारा इसकी जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दी गई है।

आईआईटी इंदौर को सिमरोल में कैंपस निर्माण के लिए 500 एकड़ जमीन आवंटित हुई है। इस जमीन के 80 हेक्टेयर हिस्से के उपयोग की अनुमति अब तक नहीं मिली थी। जमीन का यह हिस्सा वनभूमि के रूप में चिह्नित है। लंबी जद्दोजहद के बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस हिस्से के डिनोटिफिकेशन करने को तैयार हुआ था। हालाँकि नियमानुसार इस प्रक्रिया के लिए बतौर हर्जाना

10.70 करोड़ दिए जाने हैं। आईआईटी प्रशासन में यह पैसा दिए जाने से इनकार कर दिया था। संस्थान का कहना था कि उन्हें जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध कराना है, इसलिए

हर्जाना भी सरकार को ही देना होगा। बीते दिनों शासन की ओर से हर्जाने की राशि वन विभाग को अंतरित कर दी गई। विभाग ने जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दी है। वहाँ से स्वीकृति मिलते ही आईआईटी इस जमीन का उपयोग भी कैंपस निर्माण के लिए कर सकेगा। -नप्र

जानकारी भेज दी

“ शासन ने 10.70 करोड़ रुपए भेज दिए हैं। इसकी जानकारी हमने केंद्र को पहुँचा दी है।

-सईद खान, वन संरक्षक